**संख्या-895/2023/2850/35-4-2023/35-4099/53/2022**

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक:24 नवम्बर, 2023

विषय: जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-242/2022/850/35-4-2022/001-35-4099/53/2022 दिनांक-05.08.2022 द्वारा जनपद कानपुर देहात के विधानसभा क्षेत्र- सिकन्दरा के ग्राम-परौंख में धौकलपुरवा मजरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एवं ग्राम-परौंख में सेवारामपुरवा मजरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु रू0 438.84 लाख ( जी0एस0टी0सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 219.42 लाख ( रू0 दो करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक-05.08.2022 से स्वीकृत कार्यों हेतु प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 219.42 लाख ( रूपये दो करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार मात्र) जनपद को शीघ्र अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए प्रश्नगत चालू कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा पत्र संख्या-631/त्व0आ0वि0 ग्राम-परौंख-वि0स0-सिकन्दरा/2022-23, दिनांक 26.10.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में वांछित रू0 219.42 लाख (रूपये दो करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रु०लाख में)

| क्र. सं. | कार्य का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्व मे अवमुक्त कुल धनराशि | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम-परौंख में धौकलपुरवा मजरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 231.46 | 115.73 | 115.73 |
| 2 | ग्राम-परौंख में सेवारामपुरवा मजरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 207.38 | 103.69 | 103.69 |
| | योग | 438.84 | 219.42 | 219.42 |

1- सन्दर्भित शासनादेश संख्या-242/2022/850/35-4-2022/001-35-4099/53/2022 दिनांक-05.08.2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाले व्यय रू० 2,19,42,000/- (रूपये दो करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष- 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय , 04- जिला तथा अन्य सड़कें , 337- सड़क निर्माण कार्य , 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना , 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-895(1)/2023/2850(1)/35-4-2023/35-4099/53/2022 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर देहात ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग|
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5,उ0प्र0 शासन।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर देहात ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कानपुर देहात ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।